

‘नीतीश व चन्द्रबाबू की बैसाखी पर टिकी है दिल्ली की सरकार’

सचिन पायलट ने कहा कि एक भी बैसाखी खिसक गई तो सरकार धराशायी हो जायेगी

■ पायलट ने उदयपुर में रघुवीर मीणा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रघुवीर मीणा अशोक गहलोत के नजदीकी रहे हैं। सलुम्बर उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर वे गहलोत से नाराज हैं। अब वे पायलट के साथ नज़र आ रहे हैं।

■ पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने जा रही है, इसलिए जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने गहलोत के नज़दीकी रहे पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

भतियों में जो फर्जीबाड़े हुए हैं, उनमें कितने लोगों को अब तक पकड़ा है। छोटे-मोटे लोगों को पकड़कर छोड़ दिया है। प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। पायलट बोले, यहाँ पर अफसरशाही हावी है। जो वायदे किए हैं, भतियों के करप्शन को लेकर और आरपीएससी से जुड़े हुए, उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। लगातार है कि सरकार को भी दबाव होगा। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी रहे रघुवीर मीणा सलूम्बर उप चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए थे। इसके बाद अब वे पायलट के साथ नजर आए हैं।

सरकार पर निशाना साधते हुए

पायलट ने कहा कि भाजपा को जुमला देने की बहुत पुरानी आदत है। पहले जुमला दिया था महिला आरक्षण का, लेकिन कब लागू होगा, पता किसी को नहीं। बाप विधायक के रिश्ते लेते पकड़े जाने पर पायलट ने कहा कि राजस्थान में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। हर गांव, ढाणी में कांग्रेस का समर्थक वोटर मौजूद है। उदयपुर संभाग में कांग्रेस का विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था। पार्टी

पूरे देश में जिलाध्यक्षों को और ताकत देना चाहती है।

जातिगत जनगणना के सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस मांग को बहुत लंबे समय से उठा रही है। हम चाहते हैं कि समय सीमा बांधकर जातिगत गणना के कार्यक्रम को तैयारी से लेकर आए।

पहलगाम हमले पर सचिन बोले कि बिना समय गंवाए सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर आज भी खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जो कदम उठाए, उसको पूरा समर्थन है।

सी.बी.आई. के नए निदेशक के चयन के लिए मीटिंग

नयी दिल्ली, 05 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नये निदेशक का नाम तय करने के लिये सोमवार को यहां चयन समिति की बैठक हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी

■ प्र.मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सी.जे.आई. संजीव खन्ना व नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी भी शामिल हुए।

शामिल हुये। सीबीआई निदेशक प्रवीण सुद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होना अनिवार्य है और न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि इस पद पर उसी अधिकारी के नाम पर विचार किया जा सकता है, जिसका सेवाकाल कम से कम छह माह जरूर बचा हो।

गृहमंत्रालय ने राज्यों से 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने को कहा

पिछली बार ऐसी मॉकड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत-पाक युद्ध हुआ था

नई दिल्ली, 05 मई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों से, हमले की स्थिति में बचाव की तैयारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार,मंत्रालय ने राज्यों से परसों, यानी सात मई को यह मॉक ड्रिल करने को कहा है।

मॉक ड्रिल में लोगों को, विशेष रूप से हवाई हमले के समय, अपना और अन्य लोगों का बचाव करने की जानकारी देने के साथ-साथ, अभ्यास कराया जाएगा। लोगों को हमले के समय सायरन बजने और ब्लैक आउट के बारे में बताया जाएगा। यह ड्रिल नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि पहलगाम

■ इस मॉक ड्रिल में लोगों को हवाई हमले से अपना व अन्य लोगों का बचाव करना सिखाया जाएगा और हमले के समय सायरन बजने तथा ब्लैक आउट के बारे में भी अभ्यास कराया जाएगा।

■ रविवार की रात को पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैक आउट प्रैक्टिस की गई, गांवों व मोहल्लों में रात 9 से 9.30 बजे बिजली बंद रही।

आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जघन्य हत्या कर दी थी। भारत ने कहा है कि इस हमले के दोषी आतंकवादियों और उनकी सहायता तथा समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी।

रविवार-सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही।

मॉक ड्रिल के दौरान सबसे पहले,

एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। इसके साथ ही क़ैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे। अर्थात्, हमले के दौरान रोशनी बंद करने, यानी क़ैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए, यह बताया जाएगा।

निकासी योजना, अर्थात् इवैकुएशन प्लान क्या होगा, इस बारे में लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही, इवैकुएशन अभ्यास भी किया जाएगा। इवैकुएशन प्लान का मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना, अर्थात् युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाएं, इसकी तैयारी की जाएगी।

विधायक पटेल के रिश्तेदार ने 20 लाख रुपये जमीन में गाड़ दिये थे

ए.सी.बी. ने प्रताप नगर इन्दिरा गांधी नगर के मकान में जमीन में दबी राशि बरामद की

जयपुर, 5 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बागीदारा विधानसभा जिला बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी (बाप) विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्तेत में लिए बीस लाख रुपए बरामद कर लिए। जानकारी में सामने आया कि विधायक ने पैसा भांजे को दे दिया था और भांजे ने पैसे रिश्तेदार को दे दिए। रिश्तेदार ने यह पैसे जमीन में गाड़ दिए। एसीबी टीम ने जमीन में दबे रुपए निकाल लिए।

एसीबी पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी जांच में सामने आया है कि विधायक पटेल ने रिश्तेत की यह रकम अपने भांजे रोहित को सौंपी थी। जिसने रकम को आगे रिश्तेदार जसवंत को सौंप दिया। जसवंत ने रकम को अपने परिचित जगराम को सौंप दिया और पैसे को जमीन में छिपाने के लिए कहा। जहां एसीबी की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर जसवंत को ट्रेस कर हिरासत में लिया।

एस.आई.भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि मामले में ईडी प्रारंभिक जांच कर रही है। जेल में बंद दो आरोपियों के भी जल्द ही बयान दर्ज किए जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान मुद्दे पर बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द किया है। अदालत ने एसआई भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही दो माह का समय दे दिया है। सरकार को अब और समय नहीं दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया है।

आई.एम.एफ. के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया है, उसको धक्का लगाए।

इसका असर वित्तीय बाजारों की मौजूदा तेजी पर भी पड़ सकता है, जिससे भारत में विदेशी निवेश की आवक भीगी हो सकती है। टुप की “चीन को अलग-थलग करने” की नीति और चीन केन्द्रित सप्लाई चेन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रयासों के कारण भारत को बड़ा लाभ मिल रहा है। वास्तव में, अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र स्थापित करने में देशों की रुचि बढ़ रही है, और भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में उत्पादन के लिए बेहतर विकल्प बन रहा है।

रिपोटर्स ये भी हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत कश्मीर के पहलगाम हमलों के बाद युद्ध और आंतरिक अशांति में उलझ जाए। भारतीय सेना सीमाओं पर सैन्य कार्रवाई करने में

■ वकीलों की हड़ताल के कारण पुलिस विधायक को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची।

करीब ढाई घंटे की पृष्ठताल में जसवंत ने खुलासा किया कि रकम जगराम को दे दिए। इसके बाद एसीबी टीम जगराम के प्रतापनगर, इंदिरा गांधी नगर स्थित घर पहुंची और वहां से जमीन में दबे हुए 20 लाख रुपए बरामद कर लिए।

पृष्ठताल में यह भी सामने आया कि रिश्तेत की यह राशि एक प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने ली गई थी। लेकिन सौदा नहीं हुआ। इसलिए जगराम को पैसे छिपाने के निर्देश दिए गए थे। एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण को लेकर एसीबी कोर्ट पहुंची। वकीलों की हड़ताल होने के कारण विधायक को पैदल लाया गया था। इधर विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने

विधायक और उसके चचेरे भाई को दो दिन की रिमांड पर सौंप दिया। इसके बाद एसीबी टीम विधायक को मुख्यालय लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने विधायक आवास के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। सर्वर रूम की एफएसएल से जांच करवाई जाएगी।

गौरतलब है कि एसीबी ने रविवार को कार्रवाई करते हुए बागीदारा विधानसभा जिला बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक जयकृष्ण पटेल और दलाल विजय कुमार पटेल को बीस लाख रुपये की रिश्तेत लेते गिरफ्तार किया था। भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक जयकृष्ण ने विधानसभा में खनन विभाग से संबंधित उठाए गए सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ की डिमांड की थी और बाद में 2.5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। जब आपत्ति की जा रही है। हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले को सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

वक्फ मामलों की सुनवाई नए सी.जे.आई. की खंडपीठ करेगी

नयी दिल्ली, 05 मई। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादस्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले को मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी.विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादस्पद मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश की वक्फ संपत्तियों के रूप में पेश किए गए 3921236.459 एकड़ भूमि के आंकड़े पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिस पर दूसरे पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है। हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले को सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

वक्फ मामलों की सुनवाई नए सी.जे.आई. की खंडपीठ करेगी

नयी दिल्ली, 05 मई। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादस्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले को मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी.विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादस्पद मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश की वक्फ संपत्तियों के रूप में पेश किए गए 3921236.459 एकड़ भूमि के आंकड़े पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिस पर दूसरे पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है। हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले को सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

वक्फ मामलों की सुनवाई नए सी.जे.आई. की खंडपीठ करेगी

नयी दिल्ली, 05 मई। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादस्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले को मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी.विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादस्पद मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश की वक्फ संपत्तियों के रूप में पेश किए गए 3921236.459 एकड़ भूमि के आंकड़े पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिस पर दूसरे पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है। हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले को सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

वक्फ मामलों की सुनवाई नए सी.जे.आई. की खंडपीठ करेगी

नयी दिल्ली, 05 मई। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा, हमने जवाबी दलीलों पर गौर किया है। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए गये हैं, और याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दर्ज की हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे जस्टिस गवई को पीठ के समक्ष रखेंगे।

‘अपने चैनल पर पाकिस्तानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर भी मीडिया के उस वर्ग में सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर आशंकित है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने नाम नहीं बताते कि शर्त पर बताया कि यह एडवायजरी एक तरह से सेंसरशिप का संकेत है, खासकर पहलगाम हमले में हुई सुरक्षा चूक के बाद प्रेस की आजादी व कूटनीति पर एडवायजरी के परिणामों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

‘राजनीतिक आधार पर सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखते हुए की जाए तो इससे न्याय में तेजी आएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि क्या समान मामले में पूर्व में कोई याचिका पेश हुई थी? इस पर एजी ने कहा कि एक प्रकरण जोधपुर मुख्यपीठ और एक प्रकरण जयपुर पीठ में लंबित चल रहा है। इस पर अदालत ने दोनों प्रकरणों में दिए आदेशों को कांपी पेस करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है।

‘अपने चैनल पर पाकिस्तानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर भी मीडिया के उस वर्ग में सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर आशंकित है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने नाम नहीं बताते कि शर्त पर बताया कि यह एडवायजरी एक तरह से सेंसरशिप का संकेत है, खासकर पहलगाम हमले में हुई सुरक्षा चूक के बाद प्रेस की आजादी व कूटनीति पर एडवायजरी के परिणामों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

‘राजनीतिक आधार पर सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखते हुए की जाए तो इससे न्याय में तेजी आएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि क्या समान मामले में पूर्व में कोई याचिका पेश हुई थी? इस पर एजी ने कहा कि एक प्रकरण जोधपुर मुख्यपीठ और एक प्रकरण जयपुर पीठ में लंबित चल रहा है। इस पर अदालत ने दोनों प्रकरणों में दिए आदेशों को कांपी पेस करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है।

‘अपने चैनल पर पाकिस्तानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर भी मीडिया के उस वर्ग में सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर आशंकित है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने नाम नहीं बताते कि शर्त पर बताया कि यह एडवायजरी एक तरह से सेंसरशिप का संकेत है, खासकर पहलगाम हमले में हुई सुरक्षा चूक के बाद प्रेस की आजादी व कूटनीति पर एडवायजरी के परिणामों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

‘राजनीतिक आधार पर सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखते हुए की जाए तो इससे न्याय में तेजी आएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि क्या समान मामले में पूर्व में कोई याचिका पेश हुई थी? इस पर एजी ने कहा कि एक प्रकरण जोधपुर मुख्यपीठ और एक प्रकरण जयपुर पीठ में लंबित चल रहा है। इस पर अदालत ने दोनों प्रकरणों में दिए आदेशों को कांपी पेस करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है।